संख्या-59/2025/I/913576/2025/71-1002(002)/47/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 22 मार्च, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं के लिए 100 सीटेड मैरिड नर्सेज छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2024-25/552, दिनांक 05.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं के लिए 100 सीटेड मैरिड नर्सेज छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 1874.42 लाख की धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-116/2024/I/715785/2024/71-1002(002)/47/2021, दिनांक 13.08.2024 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं के लिए 100 सीटेड मैरिड नर्सेज छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 3031.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 247.525 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल में कार्यरत उपचारिकाओं के लिए 100 सीटेड मैरिड नर्सेज छात्रावास के निर्माण कार्य** हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-43-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम (बी0एम0-9 संलग्न) से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु **द्वितीय किश्त** के रूप में **रू0 1060.9725 लाख (रू0 दस करोड़ साठ लाख सत्तानवे हजार दो सौ पचास मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-116/2024/I/715785/2024/71-1002(002)/47/2021 , दिनांक 13.08.2024 में उल्लिखित शेष शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला रुपये 10,60,97,250 (रुपये दस करोड़ साठ लाख सत्तानबे हजार दो सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054300 मेडिकल कालेज गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0 लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।